



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06042022-234912
CG-DL-E-06042022-234912

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1593]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 6, 2022/चैत्र 16, 1944

No. 1593]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 6, 2022/CHAITRA 16, 1944

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2022

का.आ. 1676(अ).—केंद्र सरकार, केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) की धारा 4 की उपधारा (3) और सीएसबी नियमावली 1955 के नियम 5(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा सां.आ. संख्या 611 (ई) दिनांक 11 फरवरी, 2022 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

के लिये	पढ़ें
संयुक्त सचिव (रेशम) का नामांकन	रेशम प्रभाग के प्रमुख का नामांकन जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो

[फा.सं.25022/2/2016-रेशम]

संजय रस्तोगी, अपर सचिव

MINISTRY OF TEXTILES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st April, 2022

S.O. 1676(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (3) of Section 4 of the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948), and Rule 5(2) of CSB Rules, 1955, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Textiles published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 611(E) dated the 11th February, 2022:

For	Read
Nomination of Joint Secretary (Silk)	Nomination of Head of the Silk Division not below the rank of Joint Secretary

[F. No. 25022/2/2016-Silk]

SANJAY RASTOGI, Addl. Secy.